



2026:AHC: 16753

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43568/2025

पुष्पा सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गिरधर प्रसाद त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
- 3- याचिकाकर्ता ने अवर न्यायालय/संबंधित अधिकारियों को वाद संख्या 16384 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202515090316384) (पुष्पा सिंह बनाम शशि कुमार) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर किया है।
- 4- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर एक आवेदन काफी समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) पर ध्यान देना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित अधिकारी को विधि के अनुसार कड़ाई से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(7). तहसीलदार अविवादित नामांतरण के वाद को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और विवादित नामांतरण के वाद को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

5- उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों को उक्त आवेदन को संज्ञान में लेने और उसका विधि के अनुसार कड़ाई से, गुण-दोष के आधार पर अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन बिना किसी विधिक बाधा के अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलेन